



**THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY**

No. 794

26 Shrawan, 1940(S)

Ranchi, Friday, 17th August, 2018

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

**Notification
16th August, 2018**

Notification No. -17/2018 – State Tax(Rate)

S.O. No. 53 Dated. 17th August, 2018--In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary so to do for the purpose of clarifying the scope and applicability of the notification of the Government of Jharkhand, in the Department of Commercial Taxes, No.11/2017- State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 41, dated the 29th June, 2017, hereby inserts following explanation in the said notification, in the Table, against serial number 3, in column (3), in item (vi), namely:-

“Explanation. - For the purposes of this item, the term ‘business’ shall not include any activity or transaction undertaken by the Central Government, a State Government or any local authority in which they are engaged as public authorities.”.

2. This notification shall come into force with effect from 27th July, 2018.

[File.NoVaKar / GST / 05/ 2018]
By the order of the Governor of Jharkhand,

K. K. Khandelwal,
Additional Chief Secretary.

Note: -The principal notification No. 11/2017 – State Tax(Rate), dated the 29th June, 2017 was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 41, dated the 29th June, 2017 and was last amended by notification No. 1/2018- State Tax (Rate), dated the 5th March, 2018 *vide* S.O. No. 16, dated the 5th March, 2018.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

16 अगस्त, 2018

अधिसूचना सं०. 17/2018- राज्य कर (दर)

एस. ओ. सं०- 53 दिनांक- 17 अगस्त, 2018-- झारखण्ड माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि झारखण्ड सरकार, वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना संख्या 11/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 जिसे एस. ओ. सं. 41, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, के क्षेत्र विस्तार और उसकी प्रयोज्यता को स्पष्ट करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (vi) की प्रविष्टि में निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित करती है, यथा:-

“स्पष्टीकरण - इस प्रविष्टि के उद्देश्य के लिए ‘कारोबार’ की अभिव्यक्ति में ऐसा कोई क्रियाकलाप या संव्यवहार नहीं आएगा जो कि केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण, जिसमें कि वे लोक प्राधिकारी के रूप में संलग्न हों, द्वारा किया जा रहा हो” ।

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2018 से प्रवृत्त होगी ।

[सं.सं .वा०कर/जी०एस०टी०/05/2018]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के० के० खण्डेलवाल,

अपर मुख्य सचिव ।

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 11/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 के रूप में एस. ओ. सं. 41, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 1/2018- राज्य कर (दर) दिनांक 5 मार्च, 2018, एस. ओ. सं. 16, दिनांक 5 मार्च, 2018 के द्वारा संशोधन किया गया है ।